उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 05/2015–16

मंगल मरांडी ..... अपीलकर्ता

बनाम

बेटका बेसरा एवं अन्य ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

24/05/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 05/2015–16 मंगल मरांडी बनाम् बेटका बेसरा एवं अन्य, मौजा बालीडीह, अंचल काठीकुंड के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 128/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैनें अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम सभा द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत निम्न न्यायालय द्वारा प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है किन्तु अंतिम प्रधान जादू बेसरा को मौजा के प्रधान पद से बर्खास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी को मौजा का प्रधान सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अपीलकर्त्ता के दावों के अनुसार मौजा के अंतिम प्रधान को बर्खास्त किया जा चुका है, के संबंध में आदेश दिनांक 15.12.2015 के आदेशानुसार अंचल अधिकारी काठीकुंड से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, काठीकुंड ने अपने पत्रांक 172/रा0 दिनांक 08.04.2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन न्यायालय को भेजा गया है जिसमें उल्लेख है कि मौजा के अंतिम प्रधान को मौजा के प्रधान पद से बर्खास्त किये जाने के संबंध में कोई सबूत अपीलकर्त्ता एवं रैयतों द्वारा जांच के दौरान समर्पित नहीं किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दावा निराधार प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।